



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60851

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 143/2026

इमरान अहमद

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मुकेश चंद्र गुप्ता, शुभम प्रकाश गुप्ता

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति पी.के.गिरि

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार ने निवेदन किया है कि उन्होंने पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत के साथ यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
2. पुनरीक्षण याचिका में उल्लिखित राहत का विवरण नीचे दिया गया है:-

“अतः, इस माननीय न्यायालय से अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि वह इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम गाजियाबाद द्वारा आपराधिक अपील संख्या 168/2025 (इमरान अहमद बनाम श्रीमती उजमा और अन्य) में दिनांक 20.11.2025 को पारित किए गए निर्णय और आदेश तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, गाजियाबाद द्वारा शिकायत संख्या 362/2024 (श्रीमती उजमा बनाम इमरान अहमद और अन्य) में धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दिनांक 16.05.2025 को पारित किए गए आदेश को निरस्त/रद्द करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी निवेदन है कि यह माननीय न्यायालय दिनांक 16.05.2025 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाए। दिनांक 20.11.2025 को अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट कोर्ट प्रथम गाजियाबाद द्वारा आपराधिक अपील संख्या 168/2025 (इमरान अहमद बनाम श्रीमती उजमा और अन्य) में पारित आदेश और दिनांक 16.05.2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, गाजियाबाद द्वारा शिकायत संख्या 362/2024 (श्रीमती उजमा बनाम इमरान अहमद और अन्य) में धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित आदेश, पुलिस स्टेशन- सिहानी गेट, जिला- गाजियाबाद, को निरस्त किया जाए और/या ऐसा कोई अन्य और आगे का आदेश पारित किया जाए जो इस माननीय न्यायालय वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, गाजियाबाद ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत दायर एक आवेदन पर दिनांक 16.05.2025 के आदेश द्वारा पत्नी (विपक्षी पक्ष संख्या 2) को 5,000/- रुपये प्रति माह की अंतरिम भरण-पोषण राशि प्रदान की।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि दिनांक 16.05.2025 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने आपराधिक अपील संख्या 168/2025 दायर की है। उन्होंने यह भी बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-I, गाजियाबाद ने दिनांक 20.11.2025 के आदेश द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 16.05.2025 को पारित आदेश की पुष्टि की है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के पास अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं और आगे बताया कि प्रतिपक्षी संख्या 2 एक अधिवक्ता हैं और अपना भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करती हैं।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए मामले को संबंधित न्यायालय को वापस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भेजा जाए ताकि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर लंबित आवेदन पर निर्णय लिया जा सके।

7. तदनुसार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 3, गाजियाबाद को निर्देश दिया जाता है कि वे घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर लंबित आवेदन पर अनावश्यक स्थगन दिए बिना शीघ्रता से निर्णय लें।

8. याचिकाकर्ता पति को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर आवेदन के अंतिम निर्णय तक 5,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

9. यह भी निर्देश दिया जाता है कि संबंधित निचली अदालत याचिकाकर्ता पति के सभी पहलुओं पर विचार करे और उसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत आर्थिक राहत आदि के संबंध में अंतिम आदेश पारित करे।

10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

24 मार्च, 2026

के. तिवारी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।